



THE INSURANCE EMPLOYEES CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, BHOPAL

Registered Office : LIC of India ,Divisional Office Campus,60-A Arera Hills,Jail Road Bhopal (M.P.)
Website : <http://www.ieccsbhopal.org>, E-mail: ieccsbhopal2015@gmail.com, Phone : 0755-2558388
Registered under Madhya Pradesh Co-Operative Act. 1960 Registration No. 346/SHR/66



परिपत्र / 2016 / 5

दिनांक : 22.06.2016

सम्माननीय सदस्यगण,

आप सभी को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, कि दि. इन्श्योरेंस एम्प्लॉईज क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी भोपाल आगामी दिनांक 10 अक्टूबर 2016 को अपने सफल 50 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। कार्यकारणी द्वारा इस वर्ष को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर हम अपने विभिन्न सामाजिक दायित्वों के साथ-साथ सदस्यों के हितलाभ, सुविधाओं एवं नवीन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सदैव तत्पर हैं। वर्ष 2016 स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में किस प्रकार मनाया जाये, इस हेतु आप सभी के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। सदस्यगण इन सुझावों को सोसायटी के मेल ieccsbhopal2015@gmail.com पर 23.07.2016 से पूर्व भेज सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कि अपने सुझाव सांस्कृतिक समागम को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत करें। 50 वीं वर्षगांठ पर सभी सदस्यों को गिफ्ट भी आवंटित किया जाना निर्धारित किया गया है इस सम्बन्ध में भी आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

नवीन कार्यकारिणी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये लगभग 18 माह पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवधि में उप-पंजीयक सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2011-2012 व 2012-2013 का अंकेक्षण समाप्त कर लिया गया है। इन दोनों वर्षों के अंकेक्षण में कोई भी गम्भीर आपत्ति अंकेक्षक महोदय द्वारा नहीं उठाई गई है।

सहकारिता नियमावली के आधार पर अंकेक्षण अवधि में अंकेक्षकों द्वारा निम्न परिवर्तन प्रस्तावित किये गए हैं। कार्यकारिणी द्वारा इन परिवर्तनों पर सहमति व्यक्त करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं—

1. सदस्यों द्वारा सी.डी. पर जमा राशि सदस्यता अवधि में पूर्ण या आंशिक रूप से आहरित की जाती है, तो इस राशि पर निर्धारित ब्याज दर से ब्याज देय होगा जो कि प्रतिमाह वेतन से कटौती कर प्राप्त

किया जायेगा। यह निर्णय 01.07.2016 के बाद से इस मद में प्राप्त सभी आवेदनों पर लागू होगा।

2. अंश पूंजी मद में प्रति सदस्य शेयर जमा राशि अधिकतम 20000 (बीस हजार) होगी। दिनांक 01.07.2016 के बाद से प्राप्त ऋण आवेदनों में से ऐसे सदस्य जिनके शेयर 20000 से अधिक हैं, के अंतर्गत शेयर राशि कटौती न करते हुए सम्पूर्ण ऋण का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

विगत 18 माह में आप सभी के सहयोग से सोसायटी की आय में निरंतर वृद्धि हुई है जो कि आप सभी के विश्वास को परिलक्षित करता है। नवीन कार्यकारिणी के क्रिया कलाप संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है:-

1. माह जनवरी-2015 के बाद से कुल नवीन सदस्य संख्या : 53
2. माह जनवरी-2015 के बाद से कुल आवंटित ऋण संख्या : 505
3. माह जनवरी-2015 के बाद से कुल ऋण के रूप में आवंटित राशि : 4,04,44,010=00
4. माह जनवरी-2015 के बाद से रेमीटेंस में प्रतिमाह वृद्धि : 25%

माह जनवरी-2015 में संस्था द्वारा सदस्यों की मांग पर कन्ज्यूमर लोन प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत कुल 1,17,30,000.00 की राशि आवंटित की जा चुकी है, इसमें कुल 76 सदस्य लाभान्वित हुए हैं जो कि ऋण योजनाओं के प्रति सदस्यों की प्रतिक्रिया एवं सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।

संस्था द्वारा एफ.डी./आर.डी. की राशि को सुरक्षित करने के लिए नवीन खाता खोला गया है जिसमें प्रतिमाह बचत की राशि स्थानांतरित की जा रही है।

स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रारंभिक माह मई 2016 से पूर्व से चल रहे दो ऋणों की राशि में वृद्धि की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्तमान सीमा	वृद्धि राशि	नवीन सीमा	किश्तें	किश्त राशि	प्रतिमाह
1. रेग्यूलर लोन	100000	150000	250000	100	3657
2. स्पेशल लोन	150000	150000	300000	150	3384

इस प्रकार कुल ऋण सीमा 8 लाख रू. की जा रही है।

ऋण प्राप्ति हेतु नियमानुसार इच्छुक सदस्यों से ऋण आवेदन आमंत्रित हैं।

सोसायटी की वेबसाइट <http://www.ieccsbhopal.org> भी आरम्भ हो गई जिसमें आवश्यक जानकारियां एवं आंकड़े आप सभी की जानकारी के लिए लोड कर दिए गए हैं।

आप सभी के सुझावों की प्रतीक्षा व शुभकामनाओं के साथ!

समस्त कार्यकारिणी की ओर से

अध्यक्ष